प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: सहा.नि.(समर्थ) / 64 /2025-26 दिनांक- 16 / 02 /2026

विषय: समर्थ पोर्टल पर डेटा अपलोड / संशोधन हेतु पोर्टल पुनः खोले जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1411-सत्तर-1-2024 दिनांक 16/10/2024 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं की सी.ए.एस. (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत प्रोन्नति की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त प्राध्यापकों को अपना विवरण समर्थ पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय प्राध्यापकों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपलोड किया गया डेटा त्रुटिपूर्ण पाया गया है, जिसके कारण सी.ए.एस. प्रोन्नति प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत समर्थ पोर्टल को डेटा अपलोड / संशोधन हेतु दिनांक 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनः खोला जा रहा है:-

1. प्राध्यापकों को अपने पूर्व अपलोड किए गए डेटा में संशोधन करने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके उपरांत पोर्टल पुनः खोले जाने संबंधी किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्राध्यापक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. शासनादेशानुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) का डेटा प्रति वर्ष 30 सितंबर तक अपलोड किया जाना अनिवार्य है। समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं आई.क्यू.ए.सी. संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों तक अनिवार्य रूप से पहुँचाई जाए। इस संबंध में पृथक से कोई अन्य आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।
3. समर्थ पोर्टल के अनुसार लगभग 38,000 डेटा प्राचार्य स्तर पर लंबित है। सभी प्राचार्य दिनांक 16 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक प्राध्यापकों द्वारा अपलोड / संशोधित किए गए डेटा का परीक्षण कर उसे सत्यापित (Verify) अथवा अस्वीकृत (Reject) करेंगे। दिनांक 18 मार्च 2026 के उपरांत प्राचार्य स्तर पर कोई भी डेटा लंबित नहीं रहना चाहिए अन्यथा संबंधित प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

4. समस्त प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्राध्यापकों से संबंधित सेवा विवरण जैसे— सेवा संबंधी प्रविष्टियाँ, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, हस्ताक्षर आदि अभिलेख पूर्णतः अद्यतन हों, क्योंकि यह प्रक्रिया प्राचार्य के लॉगिन के माध्यम से संपादित की जाती है। उक्त कार्यवाही दिनांक 18 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।

उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

Digitally signed by
BINDRAWAN LAL SHARMA
Date: 16-02-2026
15:37:10

डा0 (बी0 एल0 शर्मा)
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उ0प्र0 प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या-सहा.नि.(समर्थ)/ 64 - 66 तद्दिनांक।/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव-उच्च शिक्षा अनुभाग ,3 उत्तर प्रदेश शासन।
2. कोर्डिनेटर समर्थ टीम ।

Digitally signed by
SHASHI KAPOOR
Date: 16-02-2026
16:05:19

डा0 (शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उ0प्र0, प्रयागराज